प्रेस नोट दिनांक-13.06.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़

लूट की घटना का खुलासा — कोहड़ौर पुलिस को बड़ी सफलता, तीन अपराधी गिरफ्तार, अवैध असलहा, वाहन व ₹7000 नकद बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर थाना कोहड़ौर पुलिस द्वारा लूट की घटना के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद सब्बल, 02 अदद मोबाइल, 02 अदद चाकू, घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियो गाड़ी व बकरियों को बेचने पर बचे 7000 रुपया बरामद किया गया।

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना कोहड़ौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सराय रजई बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक-09.06.2025 को थाना कोहड़ौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम उसका थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ में वादी के घर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक बकरा, चार बकरी, एक मोबाइल वीवो तमंचा सटाकर लेकर भाग जाने के संबंध में वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 86/25 धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में टीमे गठित की थी। इसी क्रम में गठित टीमों व थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर घटना से संबद्ध अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार सतत प्रयास किए जा रहे थे। टीम द्वारा संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी।

उक्त घटना पर संभावित साक्ष्य संकलन हेतु वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीकी संसाधनों का प्रयोग किया गया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कोहड़ौर उ0नि0 श्री धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 रामजन्म पाण्डेय, का0 मनीष यादव, का0 राहुल कुमार, का0 संतोष कुमार द्वारा दिनांक 13.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोहंडौर में पंजीकृत मु0अ0सं0 86/25 धारा 309 (6)

बीएनएस से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों, 01. रतन उर्फ अजय गौतम पुत्र रामसूरत उर्फ बल्ले निवासी पट्टी नरेन्द्रपुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर, 2. गुलशन पुत्र राजेन्द्र निवासी पट्टी नरेन्द्रपुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर, 3.अहमद कुरैशी पुत्र बहीद निवासी फिरोजपुर कला थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर को थानाक्षेत्र कोहंडौर के ग्राम सराय रजई बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद सब्बल, 02 अदद मोबाइल, 02 अदद चाकू, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो गाड़ी व बकरियों को बेचने पर बचे 7000/- रुपया बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 309(6)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-
अभियुक्तों से बकरियों, सब्बल, चाकू व रुपयो आदि के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी तो रतन उर्फ अजय गौतम उपरोक्त व गुलशन उपरोक्त एक साथ बताये कि हम सब के पास से बरामद चाकू से चोरी करते समय बकरियों की रस्सी काटते थे, सब्बल से हम लोगो को डराते थे। तथा मेरा अन्य साथी जो अभी भाग गया है। दिनांक 09.06.2025 को हम सब ग्राम उसका से इसी स्कार्पियो गाडी से 04 बकरी व 01 बकरा तथा एक मोबाइल छीन कर ले जाकर अहमद कुरैशी उपरोक्त को बेंच दिया था। अहमद कुरैशी ने 02 बकरियों को काटकर बेच दिया एवं अहमद कुरैशी द्वारा हम सबको 20,000 रुपये दिये थे। जिसे हम चारो लोग आपस मे बराबर-बराबर बांट लिए थे एवं अहमद कुरैशी द्वारा शेष पैसा बकरियों के बिकने के बाद देने के लिए कहा गया था।

आज हम लोग शेष 03 बकरियों को मऊआईमा बेचने के लिए ले जा रहे थे। अहमद कुरैशी द्वारा बताया कि रतन उर्फ अजय गौतम आदि चारो लोग मुझे 04 बकरियां व 01 बकरा दिनांक 09.06.2025 को सुबह लाकर बेचे थे। जिसमे से 02 बकरियो को काटने के उपरान्त बिक्रित मांस से मिले 20,000 रुपयो को मैने रतन उर्फ अजय गौतम उपरोक्त आदि लोगो को दिया था।

रतन उर्फ अजय गौतम उपरोक्त व गुलशन उपरोक्त से बकरियो के बिक्रय से प्राप्त रुपयों के बारे में बताये कि हम लोगो को हिस्से मे 05-05 हजार रुपये मिले थे, जिसमे से 1500-1500 रुपये हम सबसे खर्च हो गये तथा शेष 3500-3500 रुपये आज तलाशी में मिला है। यह बकरियों के बिक्रय से हिस्से मे मिला रुपया है।

इस प्रकार रतन उर्फ अजय गौतम उपरोक्त व गुलशन उपरोक्त तथा कल्लू मिया उपरोक्त दिनांक 09.06.2025 को ग्राम उसका थाना क्षेत्र कोहंडौर जनपद प्रतापगढ मे की गयी बकरियों की लूट की घटना को स्वीकार किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. रतन उर्फ अजय गौतम पुत्र रामसूरत उर्फ बल्ले निवासी पट्टी नरेन्द्रपुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर उम्र 26 वर्ष (आपराधिक इतिहास)- मु0अ0सं0 10/24 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

02. गुलशन पुत्र राजेन्द्र निवासी पट्टी नरेन्द्रपुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर उम्र 21 वर्ष
03. अहमद कुरैशी पुत्र बहीद निवासी फिरोजपुर कला थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 50 वर्ष

अपराधिक इतिहास-
रतन उर्फ अजय गौतम पुत्र रामसूरत उर्फ बल्ले निवासी पट्टी नरेन्द्रपुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 10/24 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

बरामदगी-
01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद सब्बल, 02 अदद मोबाइल, 02 अदद चाकू, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो गाड़ी व बकरियों को बेचने पर बचे 7000/- रुपया बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष धनन्जय राय, उ0नि0 रामजन्म पाण्डेय, का0 मनीष यादव, का0 राहुल कुमार, का0 संतोष कुमार थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़

अनावरण विशेष टीमः- निरीक्षक श्री मनोज कुमार पाण्डेय, उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह, का0 राहुल यादव, का0 अमोघ सिंह, का0 वीरेन्द्र यादव , का0 बृजेश कुमार सिंह, का0 कुंवर मोहर सिंह।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के नया पुरवा मेढ़ावां के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 27.12.2024 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अंवामा दौलत का पुरवा से वादी की पुत्री के अपहरण हो जाने के सम्बन्ध में, वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 531/2024 धारा 137 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 87 बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी

लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह कां0 छत्रपाल, म0कां0 उर्मिला, पीआरडी अशोक कुमार द्वारा दिनांक 13.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 531/2024 धारा 137 (2) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, राजबहादुर रैदास पुत्र रामकिशोर रैदास निवासी खपटीहा कला थाना पैलानी जनपद बांदा को थानाक्षेत्र लालगंज के नया पुरवा,मेढ़ावां के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.राजबहादुर रैदास पुत्र रामकिशोर रैदास निवासी खपटीहा कला थाना पैलानी जनपद बांदा।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह कां0 छत्रपाल, म0कां0 उर्मिला, पीआरडी अशोक कुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व धमकी के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र लीलापुर के तिना चितरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अरुण कुमार सिंह मय महराह हे0का0 अजय प्रजापति, का0 मोरध्वज, का0 गौरव यादव, का0 योगेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर में अन्तर्गत धारा 64/(2)/(f) / 351 (3) बीएनएस से संबंधित वाँछित 01 अभियुक्त रामसजीवन सरोज पुत्र मोतीलाल सरोज निवासी ग्राम तिना चितरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र लीलापुर के तिना चितरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.रामसजीवन सरोज पुत्र मोतीलाल सरोज निवासी ग्राम तिना चितरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष श्री अरुण कुमार सिंह मय महराह हे0का0 अजय प्रजापति, का0 मोरध्वज, का0 गौरव यादव, का0 योगेश कुमार थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के मझिलगाँव अण्डर बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 निर्मल कुमार मय हमराह का0 उमाशंकर भारती, का0 अखिलेश कुमार द्वारा दिनांक 13.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त आकाश सरोज पुत्र हरिपाल सरोज निवासी ग्राम शेखपुर आशिक थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र कुण्डा के मझिलगाँव अण्डर बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.आकाश सरोज पुत्र हरिपाल सरोज निवासी ग्राम शेखपुर आशिक थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 निर्मल कुमार मय हमराह का0 उमाशंकर भारती, का0 अखिलेश कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

अवैध गांजा के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस ने की कड़ी कार्यवाही।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1.315 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के डॉट पुल के नीचे ग्राम अर्रो जहांनाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्वेक्षण में थाना संग्रामगढ़ प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेत्तृत्व में थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह का केवल साहू व का0 रामनिवास द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुुखबिर की सूचना पर थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के डॉट पुल के नीचे ग्राम अर्रो जहांनाबाद के पास से 01 अभियुक्त अखिलेश मिश्रा पुत्र महेंद्र कुमार मिश्रा उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी - वार्ड नं0 1 लालगंज अझारा थाना लालगंज जनपद- प्रतापगढ़ को 1.315 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1.315 कि0ग्रा0 अवैध गांजा बरामद किया गया । उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0स0 98/2025 धारा 8/20 NDPS का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अखिलेश मिश्रा पुत्र महेंद्र कुमार मिश्रा उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी - वार्ड नं0 1 लालगंज अझारा थाना लालगंज जनपद- प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

1.315 कि0ग्रा0 अवैध गांजा बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह का केवल साहू व का0 रामनिवास थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

अवैध बम के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने की कड़ी कार्यवाही ।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद अवैध बम के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत नया माल गोदाम रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया है-

अभियुक्त पर थाना कोतवाली नगर में चोरी, दुष्कर्म, छेड़खानी, गैंगस्टर एक्ट, विस्फोटक पदार्थ, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन कुल 06 अपराध दर्ज है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री जयचन्द्र भारती

के नेत्तृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 कणाद मुनि व का0 विलास यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत नया माल गोदाम रेलवे फाटक के पास से 01 अभियुक्त विष्णु सरोज उर्फ टिण्टु पुत्र रामफेर निवासी भगवा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष को 04 अदद देशी अवैध बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद देशी अवैध बम बरामद किया गया । उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0- 262 / 25 धारा - 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. विष्णु सरोज उर्फ टिण्टु पुत्र रामफेर निवासी भगवा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त विष्णु सरोज उर्फ टिण्टू उर्फ पिन्टू पुत्र रामफेर निवासी भगवा थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01- मु0अ0सं01024/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम था कोतवाली नगर प्रतापगढ़ ।
02- मु0अ0सं0 1074/2021 धारा 147,149,323,354(ख), 376,427,452,504,506,511 भादवि व 7/8 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
03- मु0अ0सं0 07/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
04- मु0अ0सं0 590/2023 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
05- मु0अ0सं0 592/2023 धारा 411,413 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
06- मु0अ0सं0 582/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-
04 अदद अवैध देशी बम ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-
उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह कां० कणाद मुनि व का० विलास यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।